

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
(जीसीएमएस नं० 2021/108)
मु०नं०-101/2021
उनवान -सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार त्यागी (मै० कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ०एस०एस०
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री भानू प्रताप सिंह गहलोट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर ने अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र पीतमसिंह त्यागी एवं पार्टनर श्रीनिवास, पार्टनर शिवदयाल त्यागी, पार्टनर पीतमसिंह जी-78,रीको इण्डोऐरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै० कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 5.9.2019 को अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 90 किलो ग्राम सोहन पपडी आम जनता को बिक्रय करने हेतु रखी हुई थी इस सोहन पपडी में मिलावट का शक होने पर उक्त सोहन पपडी में से दो किलो ग्राम सोहन पपडी वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदी गई। उक्त सोहन पपडी का नमूना डी-1681 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 के अनुसार उक्त सोहन पपडी का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड सोहन पपडी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड सोहन पपडी मिटाई बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र पीतमसिंह त्यागी एवं पार्टनर श्रीनिवास, पार्टनर शिवदयाल त्यागी, पार्टनर पीतमसिंह जी-78,रीको इण्डोऐरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै० कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 7,000/-रुपये (सात हजार रु०) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निर्णय के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज०)